

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936

No. 152]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

का.आ. 218(अ).— केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार सिमित द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 31 जनवरी, 2014 के आदेश के सं. का.आ. 294(अ), द्वारा निदेश दिया था कि उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेंजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2013-14 के लिए अर्थात् 30 जून, 2014 तक उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, पैक किया जाएगा।

और जबिक केन्द्र सरकार ने दिनांक 27 जून, 2014 के आदेश सं. का. आ. 1633(अ), के द्वारा, उपर्युक्त आदेश की वैधता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से पाँच महीने की अविध के लिए कर दिया है, जोकि 30 नवम्बर, 2014 तक है।

और जबिक केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के आदेश सं. का. आ. 2968(अ), के द्वारा, उपर्युक्त आदेश की वैधता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से दो महीने आगे की अविध के लिए कर दिया है, जोकि 31 जनवरी, 2015 तक है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि 31 जनवरी, 2015 को समाप्त होने वाली उपरोक्त आदेश की वैधता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से दो मास आगे की अविध अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2014 के आदेश सं. का. आ. 294(अ), के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् दिनांक 27 जून, 2014 के आदेश सं. 1633(अ), और दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के आदेश सं. का.आ. 2968(अ), के द्वारा संशोधित किया गया था।

315 GI/2015 (1)

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 21st January, 2015

S.O. 218 (E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed, *vide* order number S.O. 294(E), dated the 31st January, 2014 (hereinafter referred to as the said order), that the commodities specified in column (2) of the Schedule to the said order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, for the year 2013-2014 i.e. upto the 30th June, 2014.

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide* order number S.O. 1633(E), dated the 27th June, 2014, for a further period of five months from the date of the expiry of the said order, that is, upto the 30th November, 2014.

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide* order number S.O. 2968(E), dated the 25th November, 2014, for a further period of two months from the date of the expiry of the said order, that is, upto the 31st January, 2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the said order, expiring on the 31st January, 2015, shall be extended for a further period of two months from the date of its expiry or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Note:—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 294(E), dated the 31st January, 2014 and subsequently amended *vide* number S.O. 1633(E), dated the 27th June, 2014 and number S.O. 2968(E), dated the 25th November, 2014.